न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बहुजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 109/2019

निर्णय दिनांक - 15.8.2020

रामस्वरूप पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल निवासी जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू — वादी

बनाम

1. चन्दनमल पुत्र शीशराम
2. भतेरी पत्नी शीशराम
3. महीपाल
4. राजकुमार — पुत्रगण शीशराम

जाति धाणक निवासीगण जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

5. रामकुमार पुत्र किशनाराम मृतक दौराने दावा - जरिए वारिसान

5/1 मोहती पत्नी रामकुमार

5/2 जितेन्द्र
5/3 सुनिल
5/4 अनिल — पुत्रगण रामकुमार

5/5 लक्ष्मीदेवी
5/6 पार्वती
5/7 दर्शना — पुत्रियां रामकुमार

6. विमला पुत्री किशनाराम

7. सन्तरो पुत्री किशनाराम

8. सन्तलाल पुत्र किशनाराम

9. सुनिता पुत्री शीशराम

जाति समस्त धाणक निवासीगण जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

2.

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 R.T. Act.

उपस्थित :-

1. श्री सुनिलकुमार अधिवक्ता वास्ते वादी

2. " बलवान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 6

निर्णय

इस न्यायालय के प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नही की व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन में सहमति जाहिर की। अतः बाद बादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर पक्षकारान का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

1. रामस्वरूप पुत्र शीसाराम जाति मेघवाल निवासी जयपुरिया खालसा खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 182 मी. रकबा 1.1380 हैं० बा. दू. लगान 2.28 वाके रोही जयपुरिया प०त० तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग हरा से दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. चन्दनमल पुत्र शीशराम हि० 801/10505 भतेरी पत्नी शीशराम हि. 801/10505 महीपाल पुत्र शीशराम हि० 801/10505 राजकुमार पुत्र शीशराम हि० 801/10505 रामकुमार पुत्र किशनाराम हि० 359/2101 विमला पुत्री किशनाराम हि० 267/4202 सन्तरो पुत्री किशनाराम हि० 267/4202 सन्तलाल पुत्र किशनाराम हि० 674/2101 सुनिता पुत्री शीशराम हि० 801/10505 जाति चाणक निवासी जयपुरिया खालसा खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 182 मी. रकबा 1.2420 हैं० बा. दू. ख.नं. 164 रकबा 1.3300 हैं० बा. दू. ख० नं० 203 रकबा 1.6300 हैं० किता 3 कुल रकबा 4.202 हैं० बा. दू. लगान 8.40 वाके रोही जयपुरिया प०त० तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

पैरा सं. 2 में अंकित रामकुमार पुत्र किशनाराम का हि० 359/2101 जो राजस्व रिकार्ड में अंकित है वह रामकुमार के नाम ही अंकित करके विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है। बाद में उक्त रामकुमार का स्वर्गवास दौराने बाद होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा चुका है इसलिए मृतक रामकुमार पुत्र किशनाराम के वारिसान मोहनी पत्नी रामकुमार, जितेन्द्र, सुनिल, अनिल पुत्रगण

रामकुमार, लक्ष्मीदेवी, पार्वती, दर्शना पुत्रियाँ रामकुमार के नाम उक्त रामकुमार का उपरोक्त हिस्सा राजस्व रिकार्ड में ब-हिस्सा बराबर अमल दरामद किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

देय मुद्रांक शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)